..न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना – कुचामन) राज.
पीठासीन अधिकारी :– बलबीर सिंह , आर.ए.एस.

प्रार्थी:–
अनिल कुमार पुत्र लक्ष्मीनिवास ब्राहम्ण
निवासी पीलवा, तह. परबतसर

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. खेमाराम पुत्र नरसाराम मेघवाल
2. गोपालराम पुत्र गंगाराम मेघवाल
3. दुलाराम पुत्र गंगाराम मेघवाल
4. रूघनाथराम पुत्र गंगाराम मेघवाल
5. शंकरलाल पुत्र नरसाराम मेघवाल
6. श्रवणराम पुत्र नरसाराम मेघवाल
7. हजारीराम पुत्र नरसाराम मेघवाल
निवासी कंकेडियास तह. परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट
उपस्थित :– श्री श्यमानिरंजन बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी

मुकदमां नम्बर :– 2022/294

निर्णय दिनांक :– 29.01.24

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामनिरंजन बोहरा ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 189, 190, 191 कुल रकबा 2.32 हैक्टयर भूमि स्थित है। जिसमें आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि के खसरा नम्बर 188 रकबा 0.45 हैक्टयर के दक्षिणी सींव से पूर्व से पश्चिम सीव होते हुऐ 20 फट चौड़ा रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत मांग की गई है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 08.02.2023 को अप्रार्थी 1, 2, 3, 4 व 7 स्वंय उपस्थित आये जबाब हेतु समय चाहा समय दिया गया। अप्रार्थी 5, 6 के नोटिस विधिवत रूप से तामील सुदा प्राप्त होने के बाजवूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। नायब तहसीलदार पीलवा से जरिये पत्रांकः 800 दिनांक 21.12.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। जिसके बाद अप्रार्थीगण 1 से 4 व 7 द्वारा दिनांक 02.08.2023 तक असालतन/वकालतन पुनः उपस्थित नहीं होने व जबाब पेश नहीं करने पर जबाब बन्द किया गया।

3. हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

4. उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2075–78 की प्रति पेश की है, जिसके अनुसान ग्राम कंकेडियास के खसरा नम्बर 189, 190, 191 की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं खसरा नम्बर 164, 165, 188, 193 कुल रकबा 4.17 हैक्टयर भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। नायब तहसीलदार पीलवा की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 188 व 193 की मध्य सीमा से मार्क ''ए'' से ''बी'' दोनों तरफ प्रस्तावित किया है। खसरा नम्बर 164, 165, 188, 193 कुल रकबा 4.17 हैक्टयर भूमि अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण ने भी खसरा नम्बर 188, 193 के मध्य मेड़ के दोनों तरफ रास्ता देना स्वीकार किया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया है ना ही नक्श ट्रेस व मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि के चारो तरफ कोई कटाणी रास्ता लगता है। राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत कृषि भूमि के चारो तरफ कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है तो सबसे नजदीकी कटाणी रास्ते से रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि ग्राम कंकेडियास के खसरा नम्बर 189, 190, 191 कुल रकबा 2.32 हैक्टयर हेतु नायब तहसीलदार पीलवा की मौका रिपोर्ट में वर्णित ग्राम ककेडियास के खसरा नम्बर 188 व 193 के मध्य सीमा पर दोनों 3–3 मीटर चौड़ाई में भूमि कम कर गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है। तदनुसार रास्ते में गई भूमि के बदले प्रार्थी से वर्तमान डी.एल.सी. दर की गणना करते हुऐ दो गुणा राशि वसूल कर अप्रार्थीगण को भुगतान करते हुऐ राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 29/1/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना - कुचामन)